17/11/21

जयपुर शहर प्रथम

जमानती पेश हुई वकील वादी/
प्रतिवादी अनुपस्थित। वकील वादी
की ओर से आरक्षण-बंध पत्र जमानत
सम्बन्ध में जमानत सम्बन्धित तो
आवेदन लगाया गया। व पत्रावली कोई
उपस्थित नहीं हुआ। अतः वादिगण का वाद
अग्रग्रहा अग्रग्रेषी के पालन में
जाता है। जमानती की जमानत निरस्त
होकर फरमानुसार होकर परिपालन
हो।

जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 14:53:11 IST
Reason: SelfAttested